कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष –0542 222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Phone- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता/ /318 /2010.  दिनांक 28 जून, 2010

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबंधक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषय : सत्र 2010–11 में बी0 एड0 प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के पत्रांक सं0 1149/सत्तर–2– 2010–3(49)/2004 दिनाक 4 जून, 2010 द्वारा निर्गत आदेश (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा यह निर्देश प्राप्त है कि बी0 एड0 पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु उ0 प्र0 शासन के निर्देशानुसार सत्र 2010–11 बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा करायी जा रही है। अतः सम्बद्ध/ सहयुक्त समस्त बी0एड0 महाविद्यालयों/ संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम के समस्त सीटों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से भरा जायेगा तथा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही अभ्यर्थियों से लिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत पाठ्यक्रम हेतु चयनित अध्यापकों के अद्यतन कार्यरत होने के सन्दर्भ में आवश्यक अभिलेख (भाषा–अनुमोदन पत्र संविदा पत्र वेतन भुगतान) सम्बद्धता कार्यालय में एक सप्ताह के अंतर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। पूर्व में आप द्वारा पाठ्क्रम हेतु संकायवार सीटों का विवरण उपलब्ध कराया गया है जिसे विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। यदि उक्त सूचना में कोई त्रुटि हो तो उसे वांछित अभिलेखों के साथ सम्बद्धता कार्यालय में संशोधन हेतु प्रस्तुत करें अन्यथा काउंसिलिंग के समय किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

कृपया प्रवेश कार्य में उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

/

(आई0पी0झा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय कुलपति जी सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. परीक्षा नियंत्रक,महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, को इस आशय के साथ कि उपर्युक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

28.06.10.
(आई0पी0झा)
कुलसचिव

संख्या-1149/सत्तर-2-2010-16(49)/2004

प्रेषक,

विमल किशोर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) कुलपति/कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

(2) निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 04 जून, 2010

विषय:-बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अप्रवासी भारतीयों (एन0आर0आई0) हेतु प्रबन्धकीय कोटा के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त प्रसंग में अवगत कराना है कि सिविल अपील संख्या-5041/2005 व सम्बद्ध अपील में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12-08-2005 के अनुपालन में बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2007-08 से सिंगल विण्डो सिस्टम के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराये जाने की व्यवस्था की गयी। इस हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिए शिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियम) आदेश, 1987 में (सातवाँ संशोधन) आदेश, 2007, दिनांक 01 फरवरी, 2007 के तहत सत्र 2007-08 हेतु बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा करायी गयी।

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरिसंदर्भित आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या-5388/सत्तर-2-2007-16(49)/2004, दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2007-08 में स्ववित्त पोषित संस्थानों/महाविद्यालयों में अप्रवासी भारतीय (एन0आर0आई0) हेतु प्रबन्धकीय कोटा 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया। बी0एड0 सत्र 2007-08 की तीन चरणों की काउन्सिलिंग के पश्चात् एन0आर0आई0 सहित 15430 सीटें रिक्त रह गयीं। इन रिक्त सीटों के भरे जाने हेतु शासनादेश संख्या-3829/सत्तर-2-2008-16(49)/2004टी0सी0, दिनांक 12 अगस्त, 2008 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर समिति गठित की गयी किन्तु रिट पिटीशन संख्या-7901(एम0/बी0)/2008 गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एण्ड टेक्निकल स्टडीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04-09-2008 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 एवं 12 अगस्त, 2008 को स्थगित कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

..2/-

एवं लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-115/सत्तर-2-2008-16(49)/2004टी0सी0, दिनांक 09 जनवरी, 2009 द्वारा बी0एड0 सत्र 2007-08 में एन0आर0आई0 सहित समस्त रिक्त सीटों को काउन्सिलिंग के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में आयोजक विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर को निर्देशित किया गया।

3- बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2008-09 डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा करायी गयी और शासनादेश संख्या-763/सत्तर-2-2009-3(58)/79टी0सी0, दिनांक 23 मार्च, 2009 द्वारा कुलसचिव, डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा को बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2008-09 की 85 प्रतिशत सीटों का आवंटन काउन्सिलिंग के माध्यम से कराये जाने हेतु निदेशित किया गया। डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2009 से 22 अप्रैल, 2009 तक 15 प्रतिशत सीटों को छोड़कर काउन्सिलिंग सम्पन्न करायी गयी किन्तु रिट याचिका संख्या-2675(एम0/बी0)/2009 दाऊदयाल महिला (पी0जी0) कालेज, फिरोजाबाद बनाम राज्य सरकार में दिनांक 05-05-2009 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या-1572/सत्तर-2-2009-3(58)/79 टी0सी0, दिनांक 14 मई, 2009 द्वारा कुलसचिव, डॉ0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा को बी0एड0 सत्र 2008-09 में समस्त सीटें काउन्सिलिंग के माध्यम से भरे जाने के निर्देश जारी किये गये। इस प्रकार बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2008-09 में समस्त सीटें संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से भरे जाने की व्यवस्था की गयी।

4- बी0एड0 सत्र 2007-08 एवं 2008-09 की रिक्त सीटों को भरे जाने के सम्बन्ध में करायी गयी अनेक चरणों की काउन्सिलिंग के कारण उक्त दोनों सत्र विलम्बित होने के दृष्टिगत बी0एड0 सत्र 2009-10 शून्य रहा। बी0एड0 पाठ्यक्रम में जहाँ एक ओर सामान्यतया अप्रवासी भारतीय (एन0आर0आई0) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, वहीं राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त बी0एड0 महाविद्यालयों/संस्थानों के प्रबन्धतन्त्रों द्वारा शासनादेशों में निहित प्राविधानों के विपरीत बी0एड0 संयुक्त प्रवेश में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के बजाय अनियमित रूप से अन्य स्रोत से छात्र/छात्राओं का प्रवेश कर लिया जाता है और अनियमित रूप से प्रवेश होने के कारण उनकी परीक्षाएँ नहीं हो पाती है, जिससे अनियमित रूप से प्रवेशित छात्र/छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

5- उपर्युक्त वस्तुस्थिति के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त बी0एड0 महाविद्यालयों/संस्थानों में समस्त सीटें विगत वर्ष की भाँति संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के द्वारा ही भरी जायें।

..3/-

6- अतः समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी सम्बद्ध/सहयुक्त बी0एड0 महाविद्यालयों/संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम में समस्त सीटों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से भरा जाना सुनिश्चित करायें तथा उक्त व्यवस्था से समस्त बी0एड0 महाविद्यालयों/संस्थानों को अवगत करा दें।

भवदीय,

(विमल किशोर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या-1149(1)/सत्तर-2-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) समन्वयक, बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा सत्र 2010-11, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बी0एड0 सत्र 2010-11 की बी0एड0 की काउन्सिलिंग उक्त प्राविधानानुसार कराना सुनिश्चित करें।
(5) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
(6) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
(7) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विभाग की बेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
(9) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी।
(10) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विमल किशोर गुप्ता)
विशेष सचिव।